



छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ 26, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक- 3 पटल पर रखेंगे.
- (2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2012-2013 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.
- (3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट (परफार्मेंस बजट) पटल पर रखेंगे.
- (4) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.
- (5) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 20 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक 29 नवम्बर, 2012 पटल पर रखेंगे.
- (6) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 46/सी.एस.ई.आर.सी./2013, दिनांक 15 फरवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2013 पटल पर रखेंगे.
- (7) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 17 अप्रैल, 2013 पटल पर रखेंगे.
- (8) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

- (9) श्री हेमचंद यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (एफ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.
- (10) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.
- (11) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.
- (12) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.
- (13) श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में खाद एवं प्रमाणिक बीज की कमी होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री लेखराम साहू, सदस्य, कुरूद ब्लॉक में सीलिंग एक्ट के तहत हितग्राहियों को आवंटित जमीन पर जमींदारों द्वारा कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान भीग कर खराब होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) श्री देवजी पटेल, सदस्य, बेमेतरा जिला के नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (5) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (6) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश के जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिले के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (7) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अमरजीत भगत, सदस्य, जिला मुंगेली अंतर्गत तहसील लोरमी में स्कूली छात्राओं के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

- (3) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (4) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (5) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (6) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (7) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (8) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर इक्कीस सौ पांच करोड़, दस लाख, अठ्ठारह हजार, पांच सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक 28 सन् 2013) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

निर्धारित समय

- 30 मिनट (2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 1 घंटा (3) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 10 मिनट (4) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 10 मिनट (5) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 30 मिनट (6) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 30 मिनट (7) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ निर्जा नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 30 मिनट (8) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

8. माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

10 मिनट

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, माननीय राज्यपाल द्वारा सभा को संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु प्रेषित दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पर पुनर्विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

रायपुर
दिनांक 16 जुलाई, 2013

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.